"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2009—कार्तिक 29, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-1-2/2009/एक/2.—श्री पी. दयानंद, भा. प्र. से. (2006), अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर (सरगुजा) की सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-5/2009/1-5.—राज्य शासन एतद्द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2009 के समापन समारोह कार्यक्रम में भाग लेने एवं भारतीय वायु सेना की एयरोबेटिक टीम द्वारा किए जाने वाले एअर शो को देखने के लिए रायपुर शहर स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में शनिवार दिनांक 07 नवम्बर, 2009 को अपरान्ह 2.30 बजे के पश्चात् अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-7/1/2007/1/2.—श्री एस. प्रकाश, भा. प्र. से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को दिनांक 09-11-2009 से 17-11-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8-11-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रकाश को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रकाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2009

क्रमांक 1334/935/2009/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, 13वां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 20-10-2009 से 27-10-2009 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल को शोध अधिकारी, 13वां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2009

क्रमांक 1338/2897/2009/1-8/स्था.—श्री राम प्रसाद राठिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 14-9-2009 से 1-10-2009 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राम प्रसाद राठिया को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम प्रसाद राठिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2009

क्रमांक 1340/918/2009/1-8/स्था.—श्री जेरोम टोप्पो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 12-10-2009 से 20-10-2009 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जेरोम टोप्पो को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जेरोम टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7202/डी-2452/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अरविन्द कुमार गोभिल, नोटरी, कटघोरा, जिला कोरबा छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7205/डी-2453/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री बब्बन चौधरी, नोटरी, कटघोरा, जिला कोरबा छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7206/डी-2495/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री हीरासिंह साहू, नोटरी, दुर्ग, जिला दुर्ग छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7207/डी-2466/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पुरूषोत्तम चौबे, नोटरी, साजा, जिला दुर्ग छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7208/डी-2464/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सागरदास मानिक, नोटरी, साजा, जिला दुर्ग छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7209/डी-2456/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गुलाबचंद्र अग्रवाल, नोटरी, पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7210/डी-2451/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री महानंद मिश्रा, नोटरी अधिवक्ता, सीतापुर, जिला सरगुजा छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7219/डी-2455/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आंद्याशंकर त्रिपाठी, नोटरी अधिवक्ता, कुनकुरी, जिला जशपुर छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7220/डी-2454/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री हिलकर सिंह चंदेल, नोटरी, पंडरिया, जिला कबीरधाम छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7221/डी-2463/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जमील अहमद, नोटरी, दुर्ग, जिला-दुर्ग छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7222/डी-2465/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मोहम्मद हई, नोटरी अधिवक्ता, जिला धमतरी छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7223/डी-2457/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शिवनारायण शर्मा, नोटरी, बालोद, जिला दुर्ग छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक 7556/डी-2625/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती सलमा रिजवी, नोटरी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा छ. ग. के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 2-32/2006/12.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उप-नियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत जिला रायपुर स्थित निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र (जिस पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन निरस्त घोषित किया गया है) इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के तीस दिवस के पश्चात् खनिज डायमण्ड, गोल्ड, प्रेसियस स्टोन, कॉपर, लेड, जिंक, क्रोम की खनिज रियायत के पुनः अनुदान के लिए उपलब्ध रहेगा.

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	जिला	आवेदित क्षेत्र का अक्षांश एवं देशांश का विवरण		अन्य विवरण
			अक्षांश	देशांश	
	गोलाझर,	रायपुर	82° 34' 59" पूर्व	21° 27' 46" उत्तर	खनिज रियायत के पुनः अनुदान के लिए अधिसूचित क्षेत्र के अभिलेख/मानचित्र की प्रतियां संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, सोनाखान भवन, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है.
	चंदन,		82° 37' 01" पूर्व	21° 28' 50" उत्तर	
	राजा[illegible]री,		82° 38' 30" पूर्व	21° 24' 18" उत्तर	
	देवरंग,		82° 37' 13" पूर्व	21° 23' 39" उत्तर	
	कुम्हारी		82° 34' 59" पूर्व	21° 27' 46" उत्तर	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/एफ 15-10/15-2/2006/2116 रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

राज्य के कृषकों को सहकारी कृषि ऋणों (अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन) पर ब्याज अनुदान नियम

प्रस्तावना :—

राज्य के कृषकों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा सहकारी बैंकों से संबद्ध कृषकों को कृषि ऋण एवं गौ-पालक कृषक, मत्स्य पालक कृषक एवं उद्यानिकी हेतु दिये जाने वाले ऋणों को राज्य शासन द्वारा दिनांक 01-04-2009 से 3% की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित बैंक/संस्था के मार्जिन के आधार पर कृषकों को प्रभारित ब्याज दर यदि वर्ष 2009-10 में 3% से अधिक होगी तो अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में शासन द्वारा की जावेगी. इसके क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—**

(एक) यह नियम "कृषकों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2009" कहलाएगा.

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावशील होगा.

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा.

2. **परिभाषाएं :—**

(एक) **कृषक**- "कृषक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो.

(दो) **सीमांत कृषक**- "सीमांत कृषक" से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो अधिकतम 2.5 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो.

(तीन) **लघु कृषक**- "लघु कृषक" से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो 2.5 एकड़ से अधिक तथा 5 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो.

(चार) **बैंक**- "बैंक" का अभिप्राय राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है. जिसे आगे क्रमश: शीर्ष बैंक, राज्य विकास बैंक, जिला बैंक, जिला विकास बैंक के नाम से उल्लेखित किया गया है.

(पांच) **संस्था**- "संस्था" का अभिप्राय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/कृषक सेवा सहकारी संस्था/आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, से है.

(छ:) **ऋण**- "ऋण" का अभिप्राय कृषक सदस्यों को नियम 2 (चार) में वर्णित बैंक एवं नियम 2 (पांच) में वर्णित संस्थाओं द्वारा वितरित कृषि प्रयोजन हेतु अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण तथा परंपरागत गौ-पालन (डेयरी), मत्स्यपालन एवं उद्यानिकी से संबंधित ऋण से है.

(सात) **कृषि प्रयोजन**- "कृषि प्रयोजन" का अभिप्राय कृषि एवं कृषि संबद्ध प्रयोजनों संबंधी उन सभी कार्यों से है, जिनके लिए बैंक/संस्था द्वारा अल्पकालीन/मध्यमकालीन/दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है. एवं जिसमें सामान्य कृषि कार्य के लिए वितरित ऋण अन्य कृषि आदान एवं उपकरण, सिंचाई साधन, कृषि एवं कृषि संबद्ध उत्पादनों के विपणन सम्मिलित है. परन्तु इसमें आवास निर्माण हेतु ऋण, ट्रेक्टर, स्वचालित थ्रेशर, स्वचालित हार्वेस्टर एवं अन्य ऐसे स्वचालित उपकरण/वाहन जिनका पृथक से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाता है, के लिये लिया गया ऋण सम्मिलित नहीं होंगे.

(आठ) **परंपरागत गौ-पालक**-परंपरागत गौ-पालक का अभिप्राय "ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक, जो पारंपरिक गौ-पालन विधि एवं रीति से गौ-पालन कर अपना जीविकोपार्जन करते हों, तथा गौ-पालन हेतु राशि रुपये 1.00 लाख (रु. एक लाख मात्र) की सीमा तक का ऋण चाहता हो."

(नौ) **मत्स्य पालक कृषक**-मत्स्य पालक कृषक का अभिप्राय "ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक, जो स्वयं के तालाब में, या स्वयं की भूमि पर नवीन तालाब निर्माण करवा कर या पंचायतों/निजी स्वामित्व के तालाबों को पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन कर रहा हो या करना चाहता हो, तथा राशि रुपये 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) की सीमा तक का ऋण चाहता हो."

(दस) **उद्यानिकी कृषक (हार्टिकल्चरिस्ट)**- उद्यानिकी कृषक का अभिप्राय "ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक, जो फल, फूल, सब्जी, मशरूम तथा औषधीय एवं सुगंधित फसलों की काश्त करता हो, तथा जो 1.00 लाख (रु. एक लाख) की सीमा तक ऋण चाहता हो."

(ग्यारह) **पंजीयक**- "पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप-पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो नियम 2 (चार) में वर्णित बैंक एवं नियम 2 (पांच) में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो.

(बारह) **प्राइम लेंडिंग रेट**- "प्राइम लेंडिंग रेट" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कास्ट ऑफ फंड, रिस्क कास्ट, ट्रान्जेक्शन कास्ट एवं बैंक के मार्जिन के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित उधार देने की न्यूनतम दर से है.

3. **पात्रता :—**

(एक) ब्याज अनुदान की पात्रता नियम 2 (चार) में वर्णित बैंकों एवं नियम 2 (पांच) में वर्णित संस्था को होगी.

(दो) ब्याज अनुदान की पात्रता उस ऋण पर होगी जो नियम 2 (सात), (आठ), (नौ) एवं (दस) में वर्णित है.

(तीन) बैंक के प्राइम लेंडिंग रेट में बैंक का स्वयं का मार्जिन एवं संस्था के मार्जिन को जोड़ने के बाद, निर्धारित ब्याज दर यदि वर्ष 2009-10 में 3% से अधिक हो तो ब्याज अनुदान की पात्रता होगी.

(चार) बैंक के प्राइम लेंडिंग रेट की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत किया जावेगा.

(पांच) बैंक के प्राइम लेंडिंग रेट में परिवर्तन होने पर ब्याज दर का पुनः निर्धारण किया जावेगा.

(छः) जिला विकास बैंकों के मामले में वित्तदायी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर में राज्य विकास बैंक एवं जिला विकास बैंक का स्वयं का मार्जिन जोड़ने के बाद निर्धारित ब्याज दर यदि 3% से अधिक हो तो ब्याज अनुदान की पात्रता होगी.

(सात) ब्याज अनुदान की पात्रता ऋण वितरण की तिथि से, बैंक/संस्था द्वारा निर्धारित की गई उस ऋण की संपूर्ण अवधि की अंतिम तिथि तक होगी. जिसमें ऋण राशि की सम्पूर्ण समेकित किश्तों (Equated Instalments) के ब्याज प्रभाग की 3% से अधिक ब्याज की अंतर राशि अग्रिम के रूप में संबंधित बैंक/संस्था को उपलब्ध कराई जावेगी.

4. **ब्याज अनुदान का आंकलन :—**

(एक) कृषि प्रयोजन, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं उद्यानिकी ऋण में यदि प्रशासकीय विभाग/केन्द्र शासन का कोई अनुदान प्राप्त हो तो अनुदान राशि कृषक की ऋण राशि में समायोजन पश्चात् शेष ऋण पर ब्याज अनुदान का निर्धारण किया जावेगा.

(दो) बैंक द्वारा आंकलित प्राइम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा बैंक एवं संस्था के लिये निर्धारित मार्जिन के आधार तथा जिला विकास बैंकों के मामले में वित्तदायी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर में राज्य विकास बैंक एवं जिला विकास बैंक का स्वयं का मार्जिन जोड़ने के बाद कृषक स्तर पर ब्याज दर का निर्धारण करने के फलस्वरूप ब्याज दर वर्ष 2009-10 में 3% वार्षिक से अधिक होने पर अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में की जावेगी. बैंक/संस्था

के लिए ब्याज अनुदान आंकलन निम्नानुसार किया जावेगा :—

ब्याज अनुदान आंकलन का सूत्र निम्नानुसार होगा :—

(अ) **संस्था के लिए :—** बैंक का प्राइम लेंडिंग रेट + पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारिक बैंक का मार्जिन + पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारित संस्था का मार्जिन – 3 प्रतिशत = ब्याज अनुदान.

(ब) **जिला विकास बैंकों के लिए :—** वित्तदायी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर + पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारित बैंकों का मार्जिन – 3 प्रतिशत = ब्याज अनुदान.

इस प्रकार कृषकों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर में 3% ब्याज की राशि घटाने पर शेष राशि ब्याज अनुदान के रूप में पात्र होगी.

5. **आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :—**

(एक) ब्याज अनुदान का आंकलन कर दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(क) **संस्था के लिए :—** संस्था, नियम 3 की पात्रता अनुसार एवं नियम 4 के अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दावा संबंधित जिला सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को प्रस्तुत करेगी. बैंक प्रस्तुत दावों का अंकेक्षक से अंकेक्षण कराकर जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक से स्वीकृति प्राप्त करेगा.

(ख) **जिला विकास बैंकों के लिए :—** बैंक, नियम 3 की पात्रता अनुसार एवं नियम 4 के अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दावा का अंकेक्षक से अंकेक्षण कराकर जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक से स्वीकृति प्राप्त करेगा.

(दो) इस नियम के प्रभावशील होने के वर्ष में, राज्य शासन की ओर से बैंकों को जो ब्याज अनुदान दिया जाना है, वह वर्ष के प्रारंभ से ही शासन पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, एवं राज्य सहकारी बैंक एवं राज्य विकास बैंक के माध्यम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला विकास बैंकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा. यह अनुदान गत वर्षों की ऋण वितरण के आधार पर गणना की जाकर उपलब्ध कराया जाएगा. संस्था एवं जिला विकास बैंक द्वारा ब्याज अनुदान का दावा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 30 दिवस के अंदर किया जावेगा. बैंक/संस्था द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रक का, जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा स्वीकृति उपरांत राशि का भुगतान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा किया जावेगा. जिला विकास बैंकों के मामले में, उनके द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रक का जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा स्वीकृति उपरांत राशि का भुगतान राज्य विकास बैंक द्वारा किया जावेगा.

(तीन) उपरोक्त अग्रिम राशि में से ब्याज अनुदान प्रत्येक तिमाही में स्वीकृत दावा के आधार पर समायोजित किया जावेगा. अग्रिम राशि के समायोजन उपरांत स्वीकृत दावा राशि शेष रहने पर शासन से पुनः राशि की मांग की जावेगी.

(चार) इन नियमों का उल्लंघन किये जाने पर ब्याज अनुदान रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक/शासन को होगा.

(पांच) ब्याज अनुदान के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा.

6. **उपयोगिता प्रमाण-पत्र :—** ब्याज अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से तथा जिला विकास बैंक द्वारा राज्य विकास बैंक माध्यम से पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा.

7. **विविध :—**

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा.

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-3/2009/16.—उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का क्रमांक 39) की धारा 7 (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनुराग लाल, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आगामी आदेश तक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करता है.

No. F 9-3/2009/16.—In exercise of the powers conferred under Section 7 (7) of the Payment of Gratuity Act, 1972 (No. 39 of 1972) the State Government, in supersession of all the notifications issued in the matter earlier, appoints Shri Anurag Lall, Deputy Secretary, Department of Labour as the appellate officer to exercise the powers the under said Act for the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-4/2009/16.—संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनुराग लाल, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं अधिनियम के अंतर्गत शक्ति प्रयोग करने हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है.

No. F 9-4/2009/16.—In exercise of the powers conferred under Section 15 (1) of the Contract Labour (Regulation and abolition) Act, 1970 the State Government in supersession of all the notifications issued in the matter earlier, appoints Shri Anurag Lall, Deputy Secretary, Department of Labour as the appellate officer to exercise the powers the under said Act for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. दलेई, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 10-4/2009/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. सी. दलेई को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए श्रम आयुक्त नियुक्त करता है.

No. F 10-4/2009/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government in supersession of all previous notification issued in this regard, appoints Shri P. C. Dalei as the Labour Commissioner for the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 10-4/2009/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. सी. दलेई, श्रमायुक्त, श्रम विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "मुख्य संराधक" नियुक्त करता है.

No. F 10-4/2009/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the subject, State Government hereby appoints Shri P. C. Dalei, Labour Commissioner to be Chief Conciliator for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 3-49/2009/10-1/वन.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 2 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम-02 में वर्णित छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों को, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अधीन तथा अध्यधीन रहते हुए किए जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्य करने हेतु जो कि उक्त अनुसूची के कालम-03 में वर्णित समकक्ष क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, उनके प्रभार क्षेत्र के लिए वन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनु. क्र. (1)	छ.ग. वन विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी (2)	वन विभाग अधिकारियों के पदनाम (3)
1.	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	क्षेत्रीय वन संरक्षक
2.	मंडल प्रबंधक	वनमंडलाधिकारी (सामान्य)
3.	उप मंडल प्रबंधक	उपवनमंडलाधिकारी (सामान्य) सहायक वन संरक्षक
4.	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी
5.	सहायक परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी	परिक्षेत्र सहायक
6.	परियोजना वनपाल	वनपाल

(1)	(2)	(3)
7.	क्षेत्ररक्षक	परिसर रक्षक

2. यह अधिसूचना "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 3-49/2009/10-1/वन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-49/2009/10-1/वन, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

Raipur, the 31st October 2009

No. F 3-49/2009/10-1/Forest.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Section 2 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby appoints the Officers of Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam Ltd. mentioned in column (2) of the Schedule below as Forest Officer for the area in his charge to do all things required to be done by a Forest Officer, under and subject to the provisions of the said Act, and the rules made thereunder as done by equivalent territorial Forest Officers mentioned in Column (3) of said Schedule, namely :—

SCHEDULE

Serial No. (1)	Officer of the Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam Ltd. (2)	Designation of Forest Department Officer (3)
1.	Regional General Manager	Territorial Conservator of Forest
2.	Divisional Manager	Divisional Forest Officer (General)
3.	Deputy Divisional Manager	Sub Divisional Forest Officer (General), Asstt. Conservator of Forest.
4.	Project Range Officer	Forest Range Officer
5.	Assistant Project Range Officer	Range Assistant
6.	Project Forester	Forester
7.	Field Man	Beat Guard

2. This Notification shall come into force from the date of its publication in the "Chhattisgarh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAUSHALENDRA SINGH, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक/1144/वाचक-1/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	लोदाम प. ह. नं. 22	0.947	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) संभाग, अंबिकापुर.	वे-ब्रिज की स्थापना हेतु

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 4 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	करमंदी	0.37	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण सेतु संभाग, बिलासपुर.	करमंदी नाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण प्रयोजन.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	चितापाली	0.99	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (भ./स.) सेतु संभाग, बिलासपुर.	चितापाली नाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण प्रयोजन.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 4 नवम्बर 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/16/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	दहीकोंगा प.ह.नं. 27	0.128	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग) जगदलपुर, जिला बस्तर.	दहीकोंगा गोलावन्ड मार्ग पर बने पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 नवम्बर 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/17/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बड़े बन्जोड़ा प.ह.नं. 27	0.061	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, (सेतु निर्माण संभाग) जगदलपुर, जिला बस्तर.	दहीकोंगा गोलावन्ड मार्ग पर बने पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8758/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मिरचे प. ह. नं. 2	13.772	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के डूबान क्षेत्र (अनुपूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 नवम्बर 2009

क्रमांक/8836/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	घोरदा प. ह. नं. 19	1.643	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 14/अ-82/वर्ष 2008-09/1210.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभानना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	पचेड़ा प. ह. नं. 21	483 486	0.22 2.18	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी रायपुर.	नया रायपुर जल प्रदाय योजना वाटर ट्रीटमेंट हेतु.
		योग	2	2.40		

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 15/अ-82/वर्ष 2008-09/1214.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कोटनी प. ह. नं. 69/18	23	0.63	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी रायपुर.	नया रायपुर परियोजना (प्लानिंग एवं रोड क्रमांक 9) हेतु.
			28	0.85		
			235	0.60		
			237	0.02		
			239	0.09		
			24	0.62		
			27	1.74		
			230	0.10		
			231	0.70		
			233/2	0.27		
			233/1	0.33		
			20	0.55		
			21	0.70		
			22	0.72		
			26	1.29		
			29	0.31		
			25	2.19		
			2/2	0.40		
			3	0.03		
			232	0.61		
		योग	20	12.75		

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक 1218/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	छतौना प. ह. नं. 74/13	524	0.07	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी रायपुर.	रोड क्रमांक 06 का निर्माण हेतु.
			546	0.13		
			547	0.02		
			553	0.25		
			554	0.20		
			555	0.14		
			598	0.09		
			594	0.16		
		योग	**8**	**1.06**		

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक 1220/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 75/10	581	1.15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी रायपुर.	रोड क्रमांक 02 एवं 06 का निर्माण हेतु.
			403	0.03		
			439	0.15		
			289	0.06		
			290	0.07		
			301	1.54		
			288	0.40		
			410	0.48		
			580	1.55		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			575	0.12		
			601/1	0.18		
			437	0.05		
			584	0.10		
			502	0.04		
			287/2	0.17		
			287/3	0.41		
			291/2	0.49		
			597	0.16		
			409	0.07		
		योग	19	7.22		

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 13/अ-82/वर्ष 2008-09/1222.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खानें (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 75/10	230	0.52	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी रायपुर.	नया रायपुर परियोजना (रेल्वे साईडिंग) हेतु.
			231	0.29		
			233	0.05		
			234	0.08		
			235	0.10		
			236	0.27		
			237	0.15		
			238	0.26		
			232	0.68		
			240	0.02		
		योग	10	2.42		

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक 1224/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	छतौना प. ह. नं. 74/13	429	0.50	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी रायपुर.	रेल्वे साईडिंग निर्माण हेतु.
			424	0.55		
			425	0.53		
			427	0.50		
			428	0.53		
			417	0.15		
			418	0.25		
			430	0.36		
		योग	**8**	**3.37**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 6 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	भैयाथान	मसिरा	1.42	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	प्रस्तावित 2 × 660 मेगावॉट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना के पावर प्लांट क्षेत्र अंतर्गत छूटी हुई निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 6 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	लोधिमा	1.08	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	प्रस्तावित 2 × 660 मेगावॉट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना के पावर प्लांट क्षेत्र अंतर्गत छूटी हुई निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 6 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./27/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	रिखी	167.415	मे. अकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 6 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./28/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	भदवाही	59.870	मे. अकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 6 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./29/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	जामडीह	66.202	मे. अकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 6 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./30/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	कालीपुर	43.29	मे. अकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2009

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र. 03/अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-सीतापार, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.498 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
599	0.270
594/5	0.016
601	0.500
602/2	0.012
650	0.032
645	0.040
598	0.020
600/2	0.080
622/1	0.008
652	0.606
646/2	0.606
600/1	0.500
642	0.042
621/2	0.126
615/5, 615/7	0.202
615/3	0.202
595	0.525
615/6	0.180

	(1)	(2)
	602/1	0.140
	621/1	0.202
	640/8	0.242
	640/9	0.210
	615/4	0.110
	600/3	0.300
	624/2	0.012
	625	0.324
	626	0.032
	624/1	0.251
	615/1	0.028
	596	0.125
	623	0.008
	641/1	0.248
	647	0.061
	646/1	0.004
	640/7	0.202
	594/1	0.032
योग	36	6.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 4 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-सिकागांव, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.732 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	39/7	0.324
	43/6	0.210
	41/2	0.121
	40/9	0.077
योग		0.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- बहीगांव, सिकागांव मार्ग के कि. मी. 5/2 पर गौर बहार नाला सेतु पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग) जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोंडागांव
- (ग) नगर/ग्राम-कमेला, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.729 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/9	0.729
योग	0.729

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम - कोसारटेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible]. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 31 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./7 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रेम नगर
- (ग) नगर/ग्राम-कांटारोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-120.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.22
3/2	0.22
3/3	0.22
3/4	0.22
6/1	1.67
6/2	0.32
9	0.45
10/1	0.16
10/2	0.04
10/3	0.04
10/4	0.08
11	1.90
12/1	0.30
12/2	0.61
12/3	0.60
12/4	0.50
19	0.25
21	0.26
22	1.60
25	0.14
26/1	0.20
26/2	0.20
26/3	0.20
26/4	0.19
27	0.44
31	0.07
32	0.43
39	0.12
41/1	0.47
41/2	0.18
41/3	0.62
41/4	0.18
41/5	0.17
42/1	0.20
42/2	0.20
42/3	0.23
42/4	0.20
44	0.68
45	0.54
46	0.34
49	0.37
52	0.18
59	1.92
63	0.30
66/1	0.25
66/2	0.25
66/3	0.25

(1)	(2)	(1)	(2)
66/4	0.34	145/3	0.12
67	0.23	145/4	0.12
73	0.50	146	0.71
108	0.12	147/1	0.16
111	0.44	147/2	0.16
113/1	0.08	147/3	0.09
113/2	0.88	147/4	0.17
113/3	0.08	147/5	0.08
117	0.53	148	0.25
122	0.14	149	0.27
123	0.75	151	0.19
124	0.43	152	0.99
129	0.74	153	0.23
132/1	0.09	154	1.30
132/2	0.09	157/1	0.43
132/3	0.10	157/2	0.12
132/4	0.10	157/3	0.21
133/1	0.30	157/4	0.10
133/2	0.18	157/5	0.31
133/3	0.10	157/6	0.21
133/4	0.14	157/7	0.11
133/5	0.16	157/8	0.12
133/6	0.12	157/9	0.12
133/7	0.08	158	0.09
133/8	0.09	159	0.14
133/9	0.10	160/1	0.11
134	0.67	160/2	0.12
136	0.28	161	0.41
137	0.57	162	1.15
138	1.15	163	0.19
139	0.31	167/1	0.29
140	0.17	167/2	0.15
141/1	2.66	167/3	0.14
141/2	0.06	178	0.37
141/3	0.12	179	0.25
141/4	0.12	180	0.64
141/5	0.10	181	0.24
141/6	0.03	183	0.42
141/7	0.04	184	0.25
141/8	0.04	185	0.32
143	0.27	186	0.25
144/1	0.16	187	0.05
144/2	0.07	189	0.26
144/3	0.08	190	0.27
145/1	0.15	191	0.04
145/2	0.15	191/389	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
191/390	0.04	221	0.53
191/391	0.11	222/1	0.80
191/392	0.35	222/2	0.45
191/393	0.17	222/3	0.19
191/394	0.09	223	0.10
192/1	0.25	224	0.04
192/2	0.20	224/397	0.04
192/3	0.09	225	0.40
192/4	0.16	226/1	0.09
193	0.10	226/2	0.22
194	0.06	227/1	1.11
195	0.07	227/2	0.12
196/1	0.08	227/3	0.22
196/2	0.09	227/4	0.53
196/3	0.12	228/1	0.60
196/4	0.10	228/2	0.14
196/5	0.23	228/3	0.14
198/1	0.04	229/1	0.34
198/2	0.04	229/2	0.49
198/3	0.03	229/3	0.06
198/4	0.03	229/4	0.10
199	0.94	230/1	0.25
200	0.34	230/2	0.25
201	0.57	231/1	0.22
202	0.56	231/2	0.22
211	0.20	232/1	0.33
212	0.17	232/2	0.11
213	0.18	232/3	0.02
214	0.39	233/1	1.06
215/1	0.1[illegible]	233/2	0.15
215/2	0.10	234	0.21
215/3	0.78	239/1	0.50
215/4	0.27	239/2	0.35
215/5	0.22	239/3	0.07
215/6	0.33	239/4	0.23
215/7	0.10	239/5	0.13
215/8	0.17	240	0.06
216	0.27	241	0.38
217/1	0.09	243	0.62
217/2	0.07	245	0.41
217/3	0.08	246	0.16
217/4	0.13	247	0.33
217/5	0.14	248	0.24
218	0.34	251	0.16
219	0.98	252	0.20
219/395	1.43	253	0.25

(1)	(2)
254	0.19
255	0.27
264/1	0.59
264/2	0.50
264/3	0.50
264/4	0.50
265	0.06
266	1.46
267	0.12
268	0.22
269	0.32
271	0.22
272	0.27
276	0.48
277	0.36
279	0.25
281	0.40
282	0.30
283	0.45
284	0.32
286	1.44
296	0.70
298	0.40
299	0.58
311	0.85
315/1	0.30
315/2	0.27
315/3	0.10
315/4	0.12
315/5	0.56
317	1.70
320	1.54
324	0.74
325	0.37
326	0.13
327	0.44
328	0.40
330	0.70
331	0.28
333	0.20
334	2.95
337	0.26
338/1	0.70
338/2	0.43
338/3	0.88
338/4	0.40
338/5	0.90
338/6	0.41
338/7	0.68
340/2	0.28
341/2	0.09
342	0.33
343	0.41
344	0.59
345	0.21
346	0.44
348	0.41
351	0.33
362	[illegible]60
364	0.18
365	2.02
367/1	2.44
367/2	2.34
367/3	2.34
367/4	2.34
370	0.59
376	0.15
379	0.30
381	0.50
382	3.15
387	1.14
388	0.36
योग	120.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है– तारा कोल परियोजना (कोयला उत्खनन) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला सरगुजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-रिसदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-102.67 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4	0.684
5/1	0.575
5/2	0.858
6	0.741
7	0.186
8	0.158
9/1	0.372
9/2	0.008
12	0.024
14/2	0.024
15/1	0.368
15/2	0.368
16	0.829
17/1	0.348
17/2	0.648
18	0.709
19/1	0.085
19/2, 33/2	0.555
20	0.664
21	0.376
22	0.628
23/1	0.340
23/2	0.283
24/1	0.085
24/2	0.486
25	0.539
26/1	0.798
26/2	0.020
27	0.089
28, 29	0.713
30	0.158
31/2	0.097
33/1	0.474
34	0.024
35/1	0.101
35/2	0.101
36/1	0.849
36/2	0.615
36/3	0.360
37	0.308
13, 43/2, 36/5	0.894
43/3	0.101
43/4	0.223
44/1	0.081
44/2	0.890
45/1	0.344
45/2	0.040
48/11	0.142
48/3	0.020
49/1	0.202
50/1	0.129
50/2	0.134
50/3	0.263
51/2, 65/4, 66/2	0.129
51/1	0.223
51/3, 66/1	0.223
52/1	0.320
53/2, 65/1	0.219
53/1	0.360
54/2	0.040
55/1	0.134
55/2	0.057
56, 60/1	0.134
57	0.190
59/2	0.073

(1)	(2)
60/2	0.032
61/1	0.138
61/2	0.138
62	0.061
62/2	0.073
63/1, 88/1, 63/2, 84/1 ख	0.486
89/1, 90/4, 171/2, 177/2, 178/2	0.575
63/3	0.567
63/5, 88/3	0.486
53/3, 63/3, 64/2, 67/2, 90/3	0.737
65/5, 63/3, 67/4, 68/5	0.073
69	0.235
70/1	0.126
70/2, 70/3	0.121
70/4	0.061
71/1	0.040
71/2	0.040
72/1	0.040
72/2	0.040
73/2	0.429
74, 67/3	0.506
76/1	0.506
76/2	0.073
76/3, 77	0.348
74/4, 80/6, 85	0.858
78	0.202
79/1	0.510
79/2	0.364
80/1	0.530
80/2, 81	0.210
80/3	0.162
80/4	0.174
80/5	0.583
83/1	0.057
83/2	0.028
84/2	0.061
86/2	0.053
87	0.008
88/1, 63/1	0.486
88/2, 63/4	0.486
90/4	0.567
91/1	0.287
91/2	0.283
92/1	0.032
92/2	0.028
93/2	0.567
94/1	0.121
94/2	0.142
95	0.113
96/1	0.085
96/2	0.024
97/1	0.036
97/2	0.036
98	0.166
99	0.247
101/1	0.049
101/2	0.049
103	0.570
101/3	0.049
101/4	0.049
102/1	0.222
102/2	0.190
103/1	0.057
103/2	0.105
103/3	0.109
103/4	0.057
104/1	0.182
104/2	0.182
104/3	0.206
104/4	0.166
104/5	0.202
105	0.404
106/1	0.310
106/2	0.304
106/3	0.055
106/4	0.020
106/5	0.020
106/6	0.020
107	0.676
108/1	0.283
108/2	0.142
108/3	0.519
109	0.235
110/1	0.336
110/2	0.336
112/1	0.097
112/2	0.065
112/3	0.393
112/4	0.073
112/5	0.065
112/6	0.097
112/7	0.077
112/8	0.097

(1)	(2)
112/9	0.065
112/10	0.077
112/11	0.101
112/12	0.065
112/13	0.065
114	0.429
115	0.425
116, 120	0.210
118	0.045
119	0.178
121, 122/3	0.360
121/3	0.105
122/2	0.206
122/4	0.026
122/5	0.113
122/7	0.028
122/8	0.036
122/9	0.206
123/1	0.020
123/2, 124, 128/2	0.142
123/3, 128/4, 129, 130/2	0.454
123/4	0.020
127, 130/4, 130/5, 131	0.182
128/1	0.223
128/3, 130/6	0.425
130/1	0.040
132/2, 158	0.519
133/2	0.113
133/1	0.753
133/3	0.113
133/4	0.113
133/5	0.113
134/1	0.053
134/2	0.182
135/1	0.510
135/2	0.162
136/1	0.243
136/2	0.239
137/1	0.348
137/2	0.093
137/3	0.510
137/4	0.057
137/5	0.360
138/1	0.158
138/2	0.154
139/1	0.283
139/2	0.202
139/3	0.036
140	0.121
141/1	0.660
141/2	0.328
142/1	0.299
142/2	0.304
142/3	0.057
142/4	0.057
143	0.101
144	0.125
145/1	0.113
145/2	0.113
146, 147	0.295
148/2, 149/2, 150/1, 165/3	0.437
149	0.129
151	0.138
152	0.121
153	0.036
154	0.077
155	0.283
156/1	0.073
156/2	0.073
158/3	0.089
157	0.267
158	0.519
159	0.061
160	0.445
161	0.494
162	0.186
163/1	0.134
163/2	0.121
163/3	0.082
164/1	0.393
164/2	0.121
165/1	0.243
165/2	0.437
165/4	0.008
166, 192	0.308
167	0.142
169	0.684
171/1	0.344
173/1	0.290
173/2	0.077
174/1	0.805
174/2	0.437

(1)	(2)
176	0.142
177/1	0.413
178/1	0.445
180	0.231
181/2	0.045
181/3	0.024
182	0.833
183/1	0.202
183/2	0.429
183/3	0.101
184	0.372
185/1	0.235
185/2	0.162
185/4	0.299
186/1, 187/1, 189/1	0.478
186/2, 187/2, 189/2	0.478
186/3, 187/3, 189/3	0.478
188	0.072
190, 191	0.267
193/1	0.206
193/2, 193/3	0.198
193/4	0.198
193/5	0.202
194/1	0.166
194/2	0.166
195/1, 202/1	0.267
195/2, 202/2	0.267
196	0.232
197, 199	0.332
198	0.040
200	0.401
201/2	0.016
203	0.121
204	1.250
205	0.243
206	0.247
207/2	0.121
207/3	0.384
207/4	0.202
207/5	0.202
208	0.089
209	1.250
210/1	0.040
210/2	0.150
211/1	0.206
211/2	0.174
212/1, 213/1, 214/1	0.793
212/2, 213/2, 214/2	0.793
215/1, 216, 217, 221/1	2.242
218, 220	0.129
219	0.012
222	0.085
223	0.684
224	0.129
225	0.425
226/1	0.263
226/2	0.271
226/3	0.271
227, 264	0.926
229/1	0.255
229/2	0.255
229/3	0.255
230/1	0.125
230/2	0.125
231/1, 248/1	0.842
231/2, 248/2	0.121
232/1	0.660
232/2	0.045
233/1	0.543
233/2	0.202
234	0.231
235	0.121
248/1, 231	0.842
249/1, 250/1, 257/2	0.206
249/2	0.210
248/3	0.089
253	0.053
258/1, 259/1	0.324
258/2, 259/2	0.202
258/3, 259/3	0.425
260/1	0.032
260/2	0.020
260/3	0.020
260/4	0.020
260/5	0.020
260/6	0.020
260/7	0.020
260/8	0.012
260/9	0.008
261/1	0.077
261/2	0.045
261/3	0.077
261/4	0.077
262	0.328

(1)	(2)
263	0.328
265, 276/2	1.194
267/1	0.198
267/3, 271	0.024
267/2	0.174
268/1	0.053
268/2	0.057
269	0.486
270/2	0.016
271/1	0.259
272/1	0.542
272/2	0.259
273/1.	0.016
273/2, 324/2	0.101
273/4, 324/3	0.045
273/5, 224/4	0.032
273/6, 304/5	0.101
247/1	0.065
274/2	0.061
275/1	0.113
275/2	0.016
275/3	0.210
276/1	0.340
276/2, 265	1.194
276/3	0.077
277/1	0.150
277/2	0.105
278/1	0.020
281/1	0.312
281/3	0.024
282/1	0.283
283/1, 287	0.328
283/2	0.012
286	0.372
283/5, 287/3	0.336
289, 319	0.490
290	0.510
291	0.583
292	0.065
293, 294	0.271
295/1	0.364
295/2	0.267
295/3	0.202
296/1 ख	0.028
296/1 भ	0.032
296/1 ब	0.024
296/1 म	0.032
296/1 अ	0.024
296/1 ध	0.190
296/1 ण	0.016
296/1 ख	0.364
296/1 ढ	0.049
296/1 झ	0.081
296/1 प	0.057
296/1	0.065
314/2	0.073
315/1	0.087
315/2	0.028
316	0.040
317	0.206
318	0.235
320	0.154
322/1 क	0.283
322/1 ख	0.065
322/2	0.259
323	0.283
324/1	0.101
324/2	0.101
योग	102.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-रिसदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.907 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
733	0.162
734	0.454
901	0.295
903/1	0.069
903/2	0.040
904	0.121
905	0.283
906	0.324
908	0.364
910	3.415
911	0.012
917/1	0.024
917/2	0.024
918/1	0.024
918/2	0.040
921/2	0.466
922	0.105
923/1	0.498
923/2	0.283
926	0.105
925, 934/4, 934/5	0.595
927	0.061
928	0.194
929	0.016
930	0.227
931	0.121
932	0.316
933	0.032
934/2	0.194
934/3	0.263
935	0.202
938/1	0.012
938/2	0.012
940	1.542
योग	10.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-जमनीपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
319	0.09
योग	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) [illegible] गीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, क[illegible] र्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के [illegible] नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

क्रमांक/8356/भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रेंगाकठेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.764 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
262	0.161
264/1	0.060
264/2	0.044
263	0.007
286	0.017
260/2	0.032
258/1	0.392
257	0.168
62	0.120
32/8	0.012
256/4	0.088
256/1	0.176
254/7	0.120
254/9	0.096
254/5, 254/10	0.168
254/3	0.240
288/9	0.042
253/3	0.088
288/5	0.057
1/4	0.066
1/5	0.022
1/2	0.088
1/7	0.112
3/1	0.160
4/2	0.112
17	0.168
16/2	0.056
16/3	0.056
15	0.088
14/6	0.056
20/5	0.019
14/3	0.157
14/7	0.152
27/2	0.184
28/2	0.120
31	0.132
401	0.006
32/9	0.088
32/7	0.104
32/3	0.044
311	0.154
302/2	0.005
300/8	0.383
299/1	0.145
299/2	0.076
299/3	0.044
298/1	0.345
298/2	0.004
298/3	0.085
290/1	0.007
290/2	0.065
290/3	0.073
290/4	0.113
289/2	0.005
288/2	0.033
288/18	0.085
288/14+15	0.017
288/10+11, 288/3+4	0.031
288/7+8	0.003
288/19	0.027
421/3	0.053
284/3	0.138
284/2	0.141
403	0.098
412/2	0.043
412/3	0.007

(1)	(2)
412/7	0.110
422/1	0.113
422/2	0.153
423	0.130
योग 70	6.764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज की बायीं तट मुख्य नहर के रेंगाकठेरा लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8759/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-खुर्सीटिकुल, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.046 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
147	1.312
152	0.304
153	0.194
154	0.138
134/2	0.029
134/7	0.141
134/9	0.162
134/8	0.052
157/4	0.154
101/1	0.121
132	0.320
131/2	0.065
129/1	0.612
93	0.235
96/2	0.247
96/3	0.324
101/3	0.101
102	0.210
101/2	0.223
103	0.029
99	0.073
योग 21	5.046

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8762/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-संसारगढ़, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.792 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26	0.405
29/4	0.041
29/5	0.214
29/6	0.132
योग 4	0.792

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8763/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-परसाटोला, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.926 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28/2	0.360
28/1	0.162
30	0.020
33	0.032
26	0.190
48	0.065
74	0.130
73/1	0.060
73/2	0.129
50	0.041
73/3	0.202
70	0.125
71	0.280
147	0.480
170/1	0.020
83/1	0.125
83/2	0.291
83/4	0.041
83/5	0.035
90/1	0.202
90/2	0.080
89	0.026
146	0.064
170/2	0.202
169/1	0.160
173	0.012
220	0.202
221/1	0.020
217/1	0.340
164/1	0.320
32	0.328
75	0.182
योग 32	4.926

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8764/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-गौलीटोला, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.569 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195	0.202
194/1	0.028
194/2	0.273
194/5	0.008
39	0.369
194/3	0.040
112	0.012
114	0.016
37	0.032
24	0.056
192/3	0.128
192/2	0.209
192/1	0.080
189	0.193
190	0.234
140	0.565
188	0.362
142	0.080
141/3	0.040
129	0.168
128	0.257
127/5	0.028
127/6	0.065
119	0.101
113	0.154
115	0.008
36	0.056
33	0.140
31	0.048
32/1	0.174
44/1	0.008
70/2	0.162
32/2	0.016
44/3	0.048
70/1	0.178
47	0.184
44/4	0.040
43	0.319
46	0.048
44/2	0.032
60/7	0.154
60/1	0.310
26	0.008
60/3	0.272
60/10	0.089
62	0.405
69	0.101
67	0.608
65/1	0.061
65/2	0.053
74/1	0.012
74/2	0.012
74/4	0.113
74/3	0.012
74/5	0.057
60/4	0.048
143/1	0.093
योग 57	7.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8765/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-बिहरीखुर्द, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.546 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
326	0.194
324	0.158
320	0.004
325	0.259
273	0.201
322/1	0.101
322/2	0.101
323/1	0.012
319	0.048
317/3	0.211
317/4	0.108
317/5	0.048
285	0.547
283	0.292
254/1	0.061
275	0.482
274	0.101
241	0.052
270/1	0.012
243/1	0.200
243/2	0.080
272/2	0.230
242/3	0.057
242/1	0.024
242/4	0.057
247	0.032
266/1	0.111
265/1	0.130
265/2	0.266
265/3	0.052
248	0.012
264	0.154
250	0.194
252	0.170
254/2	0.081
251/2	0.004
251/3	0.020
216	0.429
205/2	0.081
205/4	0.089
205/3	0.243
198	0.267
199/1	0.138
199/2	0.049
199/3	0.049
199/5	0.036
202/2	0.203
202/3	0.016
126/1	0.040
126/2	0.008
124	0.292
125/1	0.085
125/3	0.008
123	0.202
200	0.089
249/1	0.283
249/3	0.073
योग 57	7.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-**मोंगरा बैराज** परियोजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8766/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-दुर्रेटोला, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.292 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.152
78	0.040
71, 72	0.028
103	0.262
144	0.152
154/1	0.244
80, 90, 91/9	0.288
99/2	0.206
73, 74, 75/4	0.052
67	0.044
73, 74, 75/7	0.012
99/1	0.280
73, 74, 75/3	0.041
73, 74, 75/6	0.085
99/3	0.140
73, 74, 75/1	0.141
73, 74, 75/5	0.077
73, 74, 75/13	0.032
99/4	0.142
106/2	0.132
109, 126, 129/2	0.413
127	0.101
145	0.112
150	0.108
154/2	0.008
योग 25	3.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8767/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-बिहरीकला, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.798 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
248	0.211
243/1	0.312
96/4	0.259
96/29	0.300
154	0.081
96/23	0.235
96/16	0.130
96/18	0.122
96/35	0.047
96/30	0.016
129	0.040
128	0.324
127	0.259
130/1	0.101
125/1	0.101
146/1	0.454
141/1	0.186
160/1	0.097
160/2	0.138
158	0.296
159	0.089
योग 21	3.798

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8768/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-कातुलवाड़ा, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.873 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	243	0.565
	255	0.765
	253/1	0.236
	235/3	0.012
	234	0.251
	233/4	0.012
	233/5	0.032
योग	7	1.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8769/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-दानीटोला, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.850 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	38/5	0.364
	38/7	0.245
	43/2	0.809
	44	0.134
	47/1	1.214
	51/1, 51/2	3.186
	54	0.898
योग	7	6.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8770/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-सोनोली, प. ह. नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.126 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
10/5	0.568
10/7	0.344
2/9	1.214
योग 3	2.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8771/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-भुरभुसी, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
15/1	0.493
105/2	0.032
115/12	0.150
41/3	0.247
15/2	0.327
41/1	0.170
105/1	0.020
115/3	0.303
15/3	0.494
41/4	0.247
44/2	0.109
105/4	0.032
115/6	0.049
115/7	0.405
15/4	0.247
41/5	0.121
105/6	0.016
115/2	0.231
15/5	0.492
41/6	0.247
105/5	0.037
115/4	0.154
115/8	0.121
115/10	0.061
115/11	0.121
15/6	0.247
41/2	0.126
44/1	0.109
105/3	0.016
115/5	0.053
115/13	0.174
32/8	0.047
59/6	0.222
15/7	0.331
41/7	0.162
105/7	0.016
115/14	0.303
15/8	0.327
41/8	0.162
105/8	0.032
115/15	0.303
16/1	0.557
16/3	0.405
16/4	0.401
16/5	0.405
16/6	0.202
17/1	0.210
120/1	0.802
17/2	0.202
120/2	0.806
17/3	0.202
19/3	0.081
79/2	0.024
23/11	0.194

(1)	(2)
107/3	0.081
119/9	0.109
29/2	0.024
38	0.243
40	0.559
92	2.184
107/1	0.368
109	0.219
119/2	0.891
102/2	0.012
119/10	0.109
107/2	0.227
107/4	0.085
119/8	0.105
107/5	0.085
119/3	0.105
112/2	0.117
115/1	0.121
115/9	0.187
119/1	0.411
119/4	0.408
119/5	0.417
योग 76	19.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/3772/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-खड़खड़ी, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.810 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
159/5	0.172
159/2	0.101
322/7	0.415
439/3	0.191
439/1	0.708
439/2	0.496
440/1	0.263
135/1	0.036
135/6	0.032
135/4	0.182
159/6	0.421
388/1	0.793
योग 12	3.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8773/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-दोड़के, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.875 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	1.254
5	2.486
22/8	0.060
45	0.450
2/2	0.458
26/4	0.057
26/10	0.162
28/3	0.125
28/10	0.486
29/4	0.040
2/3	0.445
28/6	0.182
2/4	0.190
26/3	0.182
28/1	0.485
2/1	0.182
29/1	0.405
2/5	0.474
26/9	0.162
28/8	0.125
26/1	0.194
26/11	0.162
28/4	0.085
29/2	0.134
29/5	0.040
2/8	0.300
28/5	0.085
29/3	0.134
29/6	0.040
26/2	0.194
26/12	0.162
2/11	0.466
28/9	0.125
2/12	0.494
28/7	0.129
24	0.198
6/3	0.910
6/4	0.069
6/5	0.053
136/1	0.410
136/2	0.182
141/3	0.040
23, 28/2	0.454
141/4	0.405
योग 44	13.875

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8774/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-पोसवार, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.920 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/5	0.150
2/6	0.133
2/10	0.165
55/2	0.069

	(1)	(2)
	104/9	0.403
योग	5	0.920

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोंहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक/8[illegible]75/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   - (क) जिला-राजनांदगांव
   - (ख) तहसील-अं. चौकी
   - (ग) नगर/ग्राम-झिटिया, प. ह. नं. 03
   - (घ) लगभग क्षेत्रफल 2.828 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	305/4	0.650
	319	0.174
	317	0.287
	386/1	0.060
	306/3	0.447
	325/3	0.405
	306/2	0.805
योग	7	2.828

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 नवम्बर 2009

क्रमांक/8837/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   - (क) जिला-राजनांदगांव
   - (ख) तहसील-डोंगरगांव
   - (ग) नगर/ग्राम-मटिया, प. ह. नं. 16
   - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	84/1 2-3	0.38
	85	0.16
	86/1	0.17
	82/2	0.05
	83/2	0.05
योग	5	0.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बगदई एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 नवम्बर 2009

क्रमांक/8838/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मेढ़ा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.54 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	292	0.08
	293	0.62
	294	0.41
	295	0.43
योग	4	1.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनेसरार अर्जुनी मार्ग पर शिवनाथ नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 नवम्बर 2009

क्रमांक/8839/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आसरा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	270	0.35
	892	0.33
योग	2	0.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आसरा अड़ाम मार्ग पर झुरानदी में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2009

क्र. एफ 36-1/तीन (एक)-2/रानिआ/पंचा./रिट. आ./2009/1646.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-42 सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा

आदेश देता है कि आदेश क्रमांक एफ-19/रानिआ/नि. स./पनि/04/485, दिनांक 19 अप्रैल 2004 के सारणी के कंडिका-2 के कालम-3 में डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पश्चात् नायब तहसीलदार जोड़ा जाकर पढ़ा जाए.

डी. डी. सिंह,
सचिव.

कार्यालय, उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ. ग.)

जगदलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

क्रमांक/1121/वि.यो./न.ग्रा.नि./2009.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में कोण्डागांव निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 763/न.ग्रा.नि./2009 दिनांक 07-08-2009 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन कोण्डागांव निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है. तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में इस सूचना को छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

कोण्डागांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में - ग्राम कोण्डागांव तहसील के ग्राम पलारी (प. ह. नं. 17) की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में - ग्राम कोण्डागांव नगर पालिका सीमा तथा कोण्डागांव तहसील के ग्राम पलारी (प.ह.नं. 17) की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में - ग्राम कोण्डागांव नगर पालिका सीमा की दक्षिणी सीमा तथा कोण्डागांव तहसील के ग्राम चिखलपुटी (प.ह.नं. 18 अ) की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में - ग्राम कोण्डागांव नगर पालिका सीमा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर दिनांक 26-10-2009 से 01-11-2009 निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :- कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर (छ. ग.)

No./1121/D.P./T.C.P./2009.—The existing land use map and register for the Kondagaon Planning Area was published under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 763/T.C.P./Jagdalpur, dated 7-08-2009.

Therefore a notice is hereby given for the general information to the public that existing land use map and and register of Kondagaon Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub-section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence

of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

LIMITS OF KONDAGAON PLANNING AREA

North - Village Kondagaon tahsil & up to Northen limit of Village Pallari (p.h.No.-17).

East - Village Kondagaon Municipal Corporation and Kondagaon tahsil up to the Eastern limit of Village Pallari (p.h.No.-17).

South - Village Kondagaon Municipal Corporation of South and Kondagaon tahsil up to the Southern limit of Village Chikhalputti (p.h.No.-18 A).

West - Up to the Western limit of Village Kondagaon Municipal Corporation.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours for a period of 26-10-2009 to 1-11-2009 except Govt. holidays from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :— Office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Jagdalpur (C. G.).

पी. [illegible]ी. रायकवार,
उप-संचालक.

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2009

क्रमांक 10002/रा.शा./वि.प्रा./09.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नई योजना सेक्टर-3 (ग्राम बोरिया खुर्द, प.ह.नं. 51, मठपुरैना, प. ह. नं. 47 एवं डूडा, प.ह.नं. 51) में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

उत्तर में :—

ग्राम मठपुरैना, प.ह.नं. 47 का खसरा नंबर	:—	221, 220, 204, 205, 206, 203, 202, 200 तक
ग्राम बोरियाखुर्द, प.ह.नं. 51 का खसरा नंबर	:—	1, 439, 15, 17, [illegible]0, 21, 24, 31, 30, 35, 176, 175, 173 तक

पूर्व में :—

ग्राम बोरियाखुर्द, प.ह.नं. 51 का खसरा नंबर	:—	145, 141, 259, 260, 261 तक
ग्राम डूंडा, प.ह.नं. 51 का खसरा नंबर	:—	57, 58, 62, 63, 64, 314, 313, 312, 311, 310, 436, 431, 429, 426, 415, 424, 421, 419 तक.

दक्षिण में :—

ग्राम डूंडा, प.ह.नं. 51 का खसरा नंबर	:—	414, 412, 411, 410, 408, 409, 405, 406, 404, 383, 380 तक
ग्राम बोरियाखुर्द, प.ह.नं. 51 का खसरा नंबर	:—	437, 435, 434, 424, 421, 422, 379, 377, 376, 375, 374, 373, 372 339 तक.
ग्राम मठपुरैना, प.ह.नं.-47 का खसरा नंबर	:—	460, 459, 458 तक

पश्चिम में :—

ग्राम मठपुरैना, प.ह.नं. 47 का खसरा नंबर	:—	398, 447, 446, 434, 433, 432, 409, 412, 413, 414, 419, 420, 4[illegible] तक.

No./10002/रा.शा./वि.प्रा./09.—It is hereby declared and published for the information of the general public under sub-section(2) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that the Raipur Development Authority Town and Country Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for new Yojna Sector-3 at village Boriya Khurd P.H.N. 51, Mathpurena P.H.N. 47 and Dooda P.H.N. 51.

North —

Vill. Mathpurena P.H.N. 41 up to Kha. No. :—	221, 220, 204, 205, 206, 203, 202, 200
Vill. Boriya Khurd P.H.N. 51 up to Kha. No. :—	1, 439, 15, 17, 20, 21, 24, 31, 30, 35, 176, 175, 173

East —

Vill. Boriya Khurd P.H.N. 51 up to Kha. No. :—	145, 141, 259, 260, 261.
Vill. Dooda P.H.N. 51 up to Kha. No. :—	57, 58, 62, 63, 64, 314, 313, 312, 311, 310, 436, 431, 429, 426, 415, 424, 421, 419.

South—

Vill. Dooda P.H.N. 51 up to Kha. No. :—	414, 412, 411, 410, 408, 409, 405, 406, 404, 383, 380
Vill. Boriya Khurd P.H.N. 51 up to Kha. No. :—	437, 435, 434, 424, 421, 422, 379, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 339.
Vill. Mathpurena P.H.N. 41 up to Kha. No. :—	460, 459, 458

West—

Vill. Mathpurena P.H.N. 41 up to Kha. No. :—	398, 447, 446, 434, 433, 432, 409, 412, 413, 414, 41), 420, 424.

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2009

क्रमांक 10003/रा.शा./वि.प्रा./09.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन कमल विहार इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप योजना डूडा क्षेत्र के लिए नगर विकास स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है —

(1) रायपुर विकास प्राधिकरण, बजरंग होटल के पास, शास्त्री चौक, रायपुर
(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिश: सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा.

No./10003/रा.शा./वि.प्रा./09.—Notice is hereby given that a Draft of Town Development Scheme has been prepared for the area "Kamal Vihar" Integrated Township Scheme under sub-section (3) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection during office hours in the office of :—

(1) Raipur Development Authority, Near Bajrang Hotel, Shastri Chowk, Raipur
(2) Joint Director, Town & Country Planning, Raipur

Any objection or suggestion which may be received in writing from any person affected thereby within 30 days of the publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette" will be considered by the Town and Country Development Authority after having been given him as reporting of being heard in person if he so desires.

एस. एस. बजाज,
अध्यक्ष.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 31st October 2009

No. 7826/JOTI/3rd Part Ind./2008 2nd Batch/09.—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officer's Training Institute (JOTI), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 08-11-2009 by 4.00 P.M. for undergoing the 3rd Part of Institutional Training Programme scheduled to be held from 9th November, 2009 to 13th November, 2009.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Achchhey Lal Kachhi	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
2.	Ku. Smita Ratnawat	I Civil Judge Class-II, Raipur
3.	Shri Amit Rathore	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
4.	Shri Sumit Kapoor	II Civil Judge Class-II, Raigarh
5.	Shri Krishnpal Singh Bhaduria	Civil Judge Class-II, Korba
6.	Shri Om Prakash Jaiswal	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
7.	Shri Santosh Kumar Mahobiya	V Civil Judge Class-II, Ambikapur
8.	Ku. Mona Sonwani	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
9.	Ku. Vandana Verma	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur
10.	Shri Santosh Thakur	I Civil Judge Class-II, Durg
11.	Shri Narendra Kumar	X Civil Judge Class-II, Bilaspur
12.	Ku. Monika Jaiswal	III Civil Judge Class-II, Raipur
13.	Shri Deepak Kumar Koshle	I Civil Judge Class-II, Bemetara
14.	Shri Damarudhar Chouhan	XIV Civil Judge Class-II, Raipur
15.	Shri Roop Narayan Pathare	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
16.	Shri Pankaj Alok Tirkey	XV Civil Judge Class-II, Raipur
17.	Shri Anil Kumar Pandey	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
18.	Shri Ashok Kumar Lal	X Civil Judge Class-II, Durg
19.	Shri Jitendra Kumar Singh	XVI Civil Judge Class-II, Raipur
20.	Ku. Rashmi Mandavi	XI Civil Judge Class-II, Durg
21.	Ku. Yashoda Kashyap	XII Civil Judge Class-II, Durg
22.	Ku. Kiran Shukla	V Civil Judge Class-II, Bilaspur
23.	Shri Awadh Kishore	I Civil Judge Class-II, Ambikapur
24.	Shri Sanjay Agarwal	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur

(1)	(2)	(3)
25.	Shri Avinash Kumar Tripathi	V Civil Judge Class-II, Raipur
26.	Smt. Shyamwati Maravi	V Civil Judge Class-II, Durg
27.	Smt. Sushma Lakra	IX Civil Judge Class-II, Durg
28.	Shri Anil Prabhat Minj	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-I Jashpur.
29.	Shri Ajay Kumar Xaxa	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II Kawardha.
30.	Shri Digvijay Singh	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur
31.	Shri Agam Kumar Kashyap	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
32.	Shri Shriniwas Tiwari	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class I Bilaspur.
33.	Shri Mohan Singh Korram	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I Raipur.

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books and also to bring 3 Civil & 2 Criminal copies of judgments rendered by them during the actual judicial work.

A. Code of Civil Procedure
B. Code of Criminal Procedure
C. Evidence Act
D. Limitation Act
E. Indian Penal Code
F. Rules & Orders-Civil & Criminal
G. Stamp & Court Fees Act
H. Arms Act
I. C. G. Excise Act
J. Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

By order of the Hon' ble High Court,
G. MINHAJUDDIN, I/c. Registrar General.